न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 50/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री छाजूराम शर्मा
   विक्रेता मैसर्सः– बोहरा मिष्ठान भण्डार, बाढ बगीची, गुढा कटला रोड, बांदीकुई, जिला–दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 24.01.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 4.11.2015 को दोपहर 02:30 बजे मैसर्स बोहरा मिष्ठान भण्डार, बाढ बगीची, गुढा कटला रोड, बांदीकुई जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सत्यनारायण पुत्र श्री छाजूराम शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में काउण्टर पर एक एल्यूमिनियम की परात में करीबन 40 किग्रा खोया आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमे से हिलामिलाकर एक साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बे में तोलकर दिया जिसकी कीमत 230 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि नमूने के लिये खरीदशुदा एक किग्रा खोया को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलो में बराबर–बराबर डालकर, प्रत्येक बोतल में 20–20 बून्द फार्मलिन की डालकर, प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1247 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की, जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्र0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 5.11.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 5.11.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 6.11.2015 को डी.ओ व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ खोया के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. / 3455 / एक्ट / 2015 / 1363 दिनांक 21.12.2015 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ खोया का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत न कर मौखिक रूप से बहस कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खोया को बनाते समय दूध में फैट की मात्रा एक समान नहीं होती है। फैट की मात्रा कभी कम व कभी ज्यादा हो जाती है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 3455 / एक्ट / 2015 / 1363 दिनांक 21.12.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ खोया का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री सत्यनारायण पुत्र श्री छाजूराम शर्मा विक्रेता मैसर्सः—बोहरा मिष्ठान भण्डार, बाढ बगीची, गुढा कटला रोड, बांदीकुई, जिला—दौसा द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ खोया सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सत्यनारायण पुत्र श्री छाजूराम शर्मा विक्रेता मैसर्सः– बोहरा मिष्ठान भण्डार, बाढ बगीची, गुढा कटला रोड, बांदीकुई, जिला–दौसा पर 3000/– (अक्षरे तीन हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 24.1.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.1.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 7962-64 दिनांकः– 24.1.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री छाजूराम शर्मा विक्रेता मैसर्सः– बोहरा मिष्ठान भण्डार, बाढ बगीची, गुढा कटला रोड, बांदीकुई, जिला–दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा